लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जे–2 आशियाना कालोनी निकट खजाना मार्केट चौराहा लखनऊ–12

फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

पत्र सं0 450 / 106 / लीडा / सीईओ / मैप / 2013–14 दि0 18/10/17

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

मे0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 का मानचित्र ग्राम बिजनौर, नटकुर, नूरनगर भदरसा, परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञा पत्र सं0 1213–15 दि0 08.10.13 को स्वीकृत किया गया एवं परिवर्धन (विस्तारीकरण) मानचित्र प्राधिकरण अनुज्ञाा पत्र सं0 409 दि0 20.10.15 द्वारा स्वीकृत किया गया। उपरोक्त योजना का स्थल निरीक्षण श्री राम प्रकाश– सहायक प्रबन्धक (परि0), श्री द्विवेश कुमार मिश्रा –सहायक प्रबन्धक (परि0), श्री अतुलराज वर्मा–लेखपाल श्री ओ0पी0 सिंह –प्रबन्धक (परि0) एवं श्री शेर सिंह–सहयुक्त नियोजक /टाउन प्लानर द्वारा कर लिया गया है, जो प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः पूर्णता प्रमाण पत्र निम्नांकित प्रतिबंधों के अधीन जारी किया जाता है:–

प्रतिबंधः–

1. योजना के अंतर्गत किये गये अवस्थापना सुविधाओं का रख–रखाव तथा संचालन विकासकर्ता द्वारा किया जायेगा। टाउनशिप नगर निगम/रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोशियेशन को हस्तगत करने तक समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। इन अवस्थापना सुविधाओं की कमी या शिकायत प्राप्त होने पर उनका निस्तारण भी पूर्ण कराया जाना विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी।
2. ई0डबलू0एस0/एल0आई0जी0 के आवंटन की प्रकिया नियमानुसार विकासकर्ता द्वारा पूर्ण की जायेगी। भू–विन्यास मानचित्र में प्रस्तावित अन्य भवनों यथा ग्रुप हाउसिंग, व्यवसायिक, भूखण्डों पर भवन तथा स्कूल आदि के भवनों में निर्माण की स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण–पत्र अलग से प्राप्त करना होगा।
3. अनुज्ञा प्रपत्र की शर्त के अनुसार ग्राम समाज की भूमि की विधिक कार्यवाही विकासकर्ता द्वारा पूर्ण करायी जायेगी। अनुज्ञा प्रपत्र की अन्य शर्तो का भी पालन विकासकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. विस्तारित टाउनशिप हेतु एवं पूर्व में अनुमोदित ले–आउट हेतु कोई अन्य देयता अथवा ब्याज भविष्य में पायी जाती /निर्धारित होती है तो बिना किसी विवाद के विकासकर्ता को प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।

18/10/17 18/10/17
M.P.

5. योजना के अंतर्गत सार्वजनिक अवस्थापना सुविधाओं हेतु निर्धारित भूमि स्कूल कम्यूनिटी सेन्टर, पोस्ट आफिस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एस0टी0पी0, कूड़ा निस्तारण प्रबंधन की व्यवस्था, सुविधाजनक दुकानें आदि जो तलपट मानचित्र में प्रस्तावित है, को पूर्णरूप से विकसित कर निर्धारित उपयोग हेतु आवंटित कर कार्य सम्पादित कराना विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी। जिसकी स्वीकृति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र अलग से विकासकर्ता को प्राप्त करना होगा।

6. योजना के अंतर्गत प्रस्तावित अन्य समस्त क्रियाओं/भूखण्डों पर निर्माणों से संबंधित भवन मानचित्र अलग से स्वीकृत कराकर ही निर्माण कराया जाना होगा।

18/6/13

(एस0पी0 सिंह)
वरिष्ठ प्रबन्धक (परि0)

पत्र सं0 /106/लीडा/सीईओ/मैप/2013–14 दि0

प्रतिलिपि–

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. सहयुक्त नियोजक/टाउन प्लानर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रबन्धक (परि0), लखनऊ परिक्षेत्र को अनुपालनार्थ प्रेषित।
4. सहायक प्रबन्धक (परि0), लखनऊ परिक्षेत्र को अनुपालनार्थ प्रेषित।

(एस0पी0 सिंह)
वरिष्ठ प्रबन्धक (परि0)